

20/03/2024

RN7299HV
9996

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
नीति समन्वय - सामान्य प्रशासन प्रभाग
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

दिनांक: 01 मार्च, 2024

कार्यालय जापन


विषय:- आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत श्री करीम अंसारी, हैदराबाद के दिनांक 22-02-2024 के आरटीआई आवेदन को अग्रोचित करने के संबंध में।

इस कार्यालय में श्री करीम अंसारी, हैदराबाद का दिनांक 22-02-2024 का एक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त आवेदन को आरटीआई अधिनियम, 2003 की धारा 6(3) के तहत पीसी डिवीजन को सूचित करते हुए आवेदक को सीधे जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित डिवीजन को भेजा जा रहा है।

यदि आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी/सूचना का हिस्सा आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो कृपया इसे सीधे सीपीआईओ को स्थानांतरित किया जा सकता है जिससे मामला अधिक निकटता से संबंधित है।

संलग्नक: आरटीआई आवेदन दिनांक 22.02.2024 (मूल रूप में) 10/- रुपये के पोस्टल ऑर्डर 62एफ021662 के साथ।



(अंकेश्वर मिश्र)

संयुक्त निदेशक (आरटीआई एवं शिकायत प्रकोष्ठ)
जीए प्रभाग, एफएसएसएआई

को,

साक्षी पिपलियाल, सहायक निदेशक और सीपीआईओ (विनियमन), एफडीए भवन, कोटला रोड, दिल्ली-110002

जानकारी के लिए प्रतिलिपि:

✓ श्री करीम अंसारी
युगांतर
3-4-142/6, बरकतपुरा
हैदराबाद - 500027